झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 48 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मन्दीप सिंह एवं अन्य
ग्राम - दुम्बी, पंचायत - कोपे
प्र० - मनिका, जिला - लातेहार

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023		

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

कैम्प कार्यालय, लातेहार

वाद सं0–48/2023

दिनांक–27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा सुनवाई एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेगा सहायता केन्द्र मनिका के माध्यम से कुल–18 परिवाद पत्रों की सूची एवं इनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक–18 में श्री मंदीप सिंह, ग्राम–दुम्बी, पंचायत–कोपे, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार के परिवाद पत्र का उल्लेख है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें 02 माह से राशन नहीं दिया गया। इसके साथ–साथ मनरेगा सहायता केन्द्र, मनिका द्वारा ही डीलर बसंती महिला SHG से सम्बन्धित चार परिवाद–पत्र भी प्राप्त हैं। श्री मंदीप सिंह का परिवाद–पत्र भी इसमें शामिल है।

चारों परिवाद–पत्रों में मई, जून तथा जुलाई के ई–पॉस मशीन में अंगुलियों के निशान लगवाकर राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को आदेश दिया गया कि मामले की गंभीरता से जाँच की जाए। जाँचोपरान्त परिवादीगण का आरोप सही पाए जाने पर जितने मात्रा का राशन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसका मुआवजा उन्हें उपलब्ध कराया जाए। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार अगली निर्धारित तिथि दिनांक–12.9.23 से पूर्व कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँ।

दिनांक–12.9.23 को रखें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx39